झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 19.01.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री राजकुमार यादव एवं श्री शशि भूषण सामाड़ स0वि0स0	अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) और अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो क्रमशः 1974 और 1979 में बनायी गयी है के अंतर्गत बजट का आवंटन और उसका क्रियान्वयन नीति के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष- 2015-16 में अनुसूचित जाति उप योजना में कुल दलित जनसंख्या-13 प्रतिशत के बदले सिर्फ 5.4 प्रतिशत राशि ही आवंटित की गयी है। वहीं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) में जनसंख्या के अनुपात में तो बजट आवंटित की गयी। लेकिन बजट का अधिकतर आवंटन यानी 46 प्रतिशत सामान्य प्रकृति की योजनाओं में कर दिया गया है। सिर्फ 12 प्रतिशत ही वास्तविक योजनाओं में आवंटित किया गया है। सभी विभागों में आदिवासी उप योजना और दलित उप योजना का आवंटन और उसका क्रियान्वयन नीति के अनुरूप करने तथा आवंटित राशि का विचलन बंद किया जाय। अतः 2015-16 में उपरोक्त दोनों योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जाँच के लिए सरकार को ध्यानाकृष्ट करते है।	योजना सह-वित्त

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
02–	श्री अशोक कुमार एवं श्री अमित कुमार मण्डल स0वि0स0	गोड्डा जिला कृषि आधारित क्षेत्र है, जिसके कारण इस क्षेत्र को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ अन्य किसी प्रकार के उधोग नहीं होने के कारण यहाँ के लोग आजीविका के लिए कृषि कार्य पर ही निर्भर करते है। ऐसे में कृषि कार्य को आधुनिक, उन्नत एवं व्यवसायिक करने हेतु इस दिशा में नये शोध एवं शिक्षण की आवश्यकता है। परन्तु संथाल परगना क्षेत्र में कोई भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, फलस्वरुप कृषि कार्य का आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिये गोड्डा जिला में एक कृषि विश्वविद्यालय खोल कर इस परिक्षेत्र को कृषि कार्य में एक नई पहचान दी जा सकती है। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए एवं सम्पूर्ण परिक्षेत्र के समुचित विकास हेतु गोड्डा जिला में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते है।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
03–	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	धनबाद में झारखण्ड बनने के बाद से ही हवाई अड्डा निर्माण एवं हवाई यात्रा सेवा शुरू करने की मांग चली आ रही है। पहले भी बिहार के समय में धनबाद, जमशेदपुर, पटना, राँची, कोलकता वायुदूत विमान सेवा चलाया गया था। झारखण्ड में राँची के समानान्तर हीं धनबाद की भी जनसंख्या है। यहाँ आई0आई0टी0, आई0एस0एम0, बी0आई0टी0 सिंफर जैसे अंतर्राष्ट्रीय तकनीकि एवं शोध संस्थान है। बी0सी0सी0एल0, ई0सी0एल0, इस्को एवं टिस्को की बड़ी संख्या में कोयला खाद्यान है। मैथन, पंचेत जैसे डैम एवं पनबिजली केन्द्र के साथ ही डी0भी0सी0 टाटा पावर का संयुक्त उपक्रम एम0पी0एल0 भी है। कोयला खान भविष्य निधि एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय का हेडक्वाटर भी धनबाद में है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 150 लोग रोज धनबाद से बाहर	परिवहन (नागर विमानन)

		कोलकता या राँची जाकर हवाई जहाज पकड़ते हैं। लगभग छः माह पहले नगर विमानन विभाग को जिला प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट भी भेज दी गई है। अतः धनबाद में कोमर्शियल हवाई अड्डा बनाने की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।

राँची,
दिनांक– 19 जनवरी, 2017 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापं सं0–ध्या0 एवं अना0प्र0–01/2017–....749....../वि0 स0, राँची, दिनांक– 18/01/2017

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ योजना सह– वित्त विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं परिवहन (नागर विमानन) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–ध्या0 एवं अना0प्र0–01/2017–....749....../वि0 स0, राँची, दिनांक– 18/01/2017

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–